

राजस्थान सरकार
बन विभाग

कार्यालय मुख्य बन संरक्षक, उदयपुर

बन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email- cef.udypur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

कमांक एफ 5 (34/द्रासमिशन लाईन) एफसीए/मुवसं/2023-24/1639 दिनांक :- 04-03-2024
निमित्त,

अतिरिक्त- प्रधान, मुख्य बन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :-Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

प्रसंग :- आपका ईडीएस पत्र कमांक एफ 16 (TRAN) 2020/एफसीए/प्रमुवसं/6971 दिनांक 02.8.
2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में आप द्वारा चाही सूचना /स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में उप बन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ (एफ.सी.ए. /मुवसं/1128 दिनांक 09.02.2024 से बिन्दुवार सूचना तैयार कर हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को निमानुसार प्रेषित की गई है। अतः बनमण्डल, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी में इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्रम सं.	आधेप	प्रत्युत्तर
1	पालना रिपोर्ट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के.वी./11 के.वी. पारेषण लाईन डाला जानी है किन्तु DGPS यैप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट किया जाना प्रस्तुतित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार 33 के.वी. पारेषण लाईन का ले-आउट स्थान तैयार कर अपलोड कर दिया गया है। एनेक्षवर-1
2	पालना अपूर्ण। रोजगार सृजन की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निर्माण में कितने रोजगार सृजन किये जावेंगे यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के निर्माण में रोजगार सृजन की सूचना अंकित कर दी गई है। एनेक्षवर-2
3	पालना अपूर्ण। उप बन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालन संतोषजनक नहीं है उप बन संरक्षक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व याले बन क्षेत्र में प्रस्तावित करे एवं भारत सरकार उसी मार्गदर्शिका के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं रथल उपयोक्ता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व याले बन क्षेत्र का चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न कर दी गई है। एनेक्षवर-3
4	पालना अपूर्ण। प्रकरण पारेषण लाईन के निर्माण से संबंधित है। इसमें वृक्षों का पालन दावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः उप बन संरक्षक इस आशय से पुर्णविचार कर स्पष्ट करे कि कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।	वृक्षों का पालन दावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से न्युनतम वृक्षों के पालन हेतु 15 वर्षों के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। एनेक्षवर-4
5	पालना अपूर्ण। उप बन संरक्षक द्वारा नदीन रथल निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड प्रति में संलग्न की गयी है किन्तु ऑनलाईन नहीं की गयी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप बन संरक्षक का देशप्रियालय/Conservator Of Forest Date: 2024.03.03 17:25:42 IST Reason: Approved

संलग्न :- सपरोक्तानुसार।



मददीय

(सुनील चिंदी, भा.प्ट से)
मुख्य बन संरक्षक,
उदयपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज०)

(निम्न विवर परिवहन प्रताप सर्किल, विनीडगड़ 302001; Ph & Fax: 01472-241049; email : defchitor.fores@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2023-24 / 1128

दिनांक : ३.२.२०२४

निमित्

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

महोदय

मेरी विषय :—Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogaia Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020
 मेरी संसद :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रयुक्ति) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (TRANS)
 2020/एफसीए/प्रयुक्ति/6971 दिनांक 2.8.2023 के क्रम में।
 संदर्भ :—साहायक अधिकारी, (प.व.वि.वि.लि., योगू.) का पत्र क्रमांक 2186 दिनांक 26.1.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रारंभिक पत्र द्वारा प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा संदर्भित पत्र से प्रस्तुत की है तथा इस कार्यालय से संबंधित आक्षेपों की पूर्ति की जाकर प्रस्ताव पुनः प्रेषित है।

क्र.सं.	आशेष	प्रत्यक्षर
1	पालना स्पॉट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के बी./11 के बी. पारेषण लाईन आला जानी है किन्तु DGPS गेप में जोरो लाईन किस प्रकार आली जावेगी उसका ले आउट किया जाना प्रत्यक्ता है।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार 33 के बी. पारेषण लाईन का ले-आउट लेना वैयक्त कर अपलोड कर दिया गया है। एनेक्सचर-1
2	पालना अपूर्ण। रोजगार सूजन की खूबना छाड़ प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निम्न में किसाने रोजगार सूजन किये जावेंगे यह सत्त्व अकिञ्चन नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा पारेषण लाईन के निम्न में रोजगार सूजन की सूचना अकिञ्चन कर दी गई है। एनेक्सचर-2
3	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालना संतोषजनक नहीं है उप वन संरक्षक शरीरपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम धनात्म वाले वन क्षेत्र में प्रस्तावित करे एवं गारस रसकार की भागीदारीका के अनुज्ञय शरीरपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं रथल उपयुक्ता प्रणाल पत्र संलग्न करें।	निरीक्षानुसार शरीरपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम धनात्म वाले वन क्षेत्र का व्यय कर शरीरपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न कर दी गई है। एनेक्सचर-3
4	पालना अपूर्ण। प्रकरण पारेषण लाईन के निम्न से संबंधित है। इसमें वृक्षों का पालन दावर निम्न में दी गया है अ-य क्षेत्र में नहीं होया है। अतः उप वन संरक्षक इस आशय से पुर्वविचार कर रप्ट करे कि कुल किसान वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।	कुलों का पालन दावर निम्न में ही होता है अ-य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता अधिकरण ये नवाचारण वृक्षों के पालन लेने 16 प्रतिशत वृक्षों के पालन का आशय प्राप्त कर लिया गया है। एनेक्सचर-4
5	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा नवीन-रथल निरीक्षण स्पॉट छाड़ प्रति में संलग्न की गयी है किन्तु ऑनलाईन नहीं की गयी है।	नवीन रथल निरीक्षण स्पॉट ऑनलाईन नहीं की गयी है। एनेक्सचर-5

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विजय शंकर पाण्ड्य)

Signature याति

द्वारा दिया गया

प्रतिलिपि :— अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटोकॉल ऐप्प, जोड़ल

Digitally signed by Viju Pandey
Designation : Deputy Conservator Of Forest

Date: 2024.02.09 16:44:14 IST

Reason: Approved



उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

Signature valid

RajKan: Ret
Digitally signed by Vijay Shankar

Pandey
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.02.09 10:44:14 IST
Reason: Approved